



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 832]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2017/चैत्र 1, 1939

No. 832]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2017/CHAITRA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

(आयकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

का.आ. 928 (अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ.2483(अ), दिनांक 30.09.2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी के स्थान पर, अनुसूची के नीचे निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

अनुसूची

क्रम संख्या	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	अधिकार-क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आयकर आयुक्त, केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बेंगलुरु,	बेंगलुरु, कर्नाटक	सभी मामले जिनमें निम्नलिखित में आयकर रिटर्न भरे गए हैं (i) इलेक्ट्रॉनिक फार्म, और (ii) पेपर फार्म।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 16 /2017, फा.सं.187/3/2017-आईटीए-1]

रोहित गर्ग, निदेशक